राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,
E-mail : we.wshgi@gmail.com

क्रमांक एफ 13 (1)( )WE/WSHGI/प्रियदर्शिनी/16–17/17589 जयपुर, दिनांक 01.09.16

परिपत्र

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना (2016–17)

(पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 9410 दिनांक 06.06.2016 का निरस्त करते हुए)

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले से 10 महिला स्वयं सहायता समूहों का चिन्हीकरण कर उन्हें प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित किया जाता है।

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना हेतु समूहों का चिन्हीकरण :–

इस हेतु प्रत्येक जिले के कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता द्वारा 10 महिला स्वयं सहायता समूहों का चिन्हीकरण उन्हें प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित करने हेतु किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के चयन के लिए निम्नांकित मापदण्ड रखें गये है :–

I. समूह कम से कम एक वर्ष पुराना हो।
II. चयनित समूह के पदाधिकारी शिक्षित हों।
III. समूह का बैंक में खाता खुल चुका हो।
IV. समूह के आधे से अधिक सदस्य आन्तरिक लेन–देन में संलग्न हों।
V. समूह द्वारा कम से कम एक बार बैंक से ऋण प्राप्त कर लिया गया हो।

चूंकि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का मुख्य ध्येय महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाना है अतः जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना हेतु प्राथमिकता से एक जैसी आयजनक गतिविधि वाले एवं एक ब्लॉक के एक ही क्षेत्र के समूहों को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि इन समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत स्थानीय स्तर पर ही योजनानुरूप विविध प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से लाभान्वित कर आदर्श समूहों के रूप में विकसित किया जाकर उनका क्लस्टर बनाया जा सके।

जिले में जिन स्वयं सहायता समूहों को गत वर्षों में प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है उन समूहों को चयनित नहीं किया जाकर नए समूहों को लाभान्वित किया जाएगा। जिले में प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजनान्तर्गत जिन ब्लाक्स में 10 स्वयं सहायता समूहों को गत वर्षों में लाभान्वित किया जा चुका है उन ब्लाक्स के स्थान पर किसी अन्य ब्लॉक में से समूह के चयन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उपरोक्त वर्णित मापदण्डों के अनुसार 10 स्वयं सहायता समूहों का चिन्हीकरण समस्त जिलों में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाकर समूहों की पूर्ण सूचना तथा यह समूह जिस ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उसका विवरण निम्नांकित प्रारूप में निर्धारित तिथि तक निदेशालय भिजवाया जाएगा:–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र. सं	समूह का नाम	ग्राम / ब्लॉक / जिला	समूह गठन दिनांक	पदाधिकारियों के नाम व शिक्षा व मो0 नं0	बैंक व शाखा का नाम,पता जिसमें समूह का खाता संचालित हो	आन्तरित लेन–देन कर रहे समूह सदस्यों की संख्या	समूह द्वारा कितनी बार ऋण लिया गया है	समूह द्वारा चयनित ट्रेड का विवरण

संस्था का चयन :–

प्रत्यक जिले पर चिन्हित 10 स्वयं सहायता समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित करने का कार्य स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं के माध्यम से करवाया जायेगा।

प्रस्ताव हेतु संस्था की पात्रता निम्नांकितानुसार होगी–*

1. गत तीन वर्ष से लगातार कार्य का अनुभव।
2. स्वंय सहायता समूह कार्यक्रम एवं माइक्रोफाइनेन्स का अनुभव।

- संस्था द्वारा न्यूनतम 10 स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- संस्था द्वारा न्यूनतम 05 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिकेंज।
- संस्था द्वारा विकसित समूहो में से वर्तमान में न्यूनतम 05 स्वयं सहायता समूह उत्पादन एवं विपणन में कार्यरत।
- संस्था द्वारा न्यूनतम 03 स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिकेंज।
- संस्था द्वारा विकसित समूहो में से वर्तमान में न्यूनतम 05 स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण।

3. गत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में न्यूनतम रू 10 लाख का टर्न ओवर।
4. संस्था द्वारा जिस जिले के लिए योजनान्तर्गत आवेदन किया जायेगा उस संभाग के किसी भी जिले में संस्था का मुख्य कार्यालय हो या कार्यालय स्थापित हो जो न्यूनतम तीन वर्ष से एक ही पते पर निरंतर संचालित हो रहा हो ।
5. संस्था किसी भी सरकारी विभाग/एंजेसी/निगम आदि द्वारा ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में नहीं होनी चाहिए।

*** आवेदक संस्था द्वारा उपरोक्त न्यूनतम पात्रताओं के प्रमाण हेतु संबंधित प्रमाणिक दस्तावेजों को प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यानुभव एवं स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम व माइक्रोफाइनेन्स के क्षेत्र में न्यूनतम पात्रताओं के प्रमाण हेतु किसी राजकीय विभाग, उपक्रम, निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय, स्वायत्त शासी संस्थानों एवं नाबार्ड में से किसी के साथ कार्य के प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नांकितानुसार रखी जायेगी:–

विभाग द्वारा प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थाओं का चयन RTPP के प्रावधानानुसार किया जाएगा।

राज्य स्तर पर RTPP के प्रावधानानुसार प्रक्रिया द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से जिलों में चिन्हित स्वयं सहायता समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह की स्थिति तक ले जाने हेतु आमुखीकरण, प्रबन्धकीय क्षमता, उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन, आयजनक तथा मार्केट लिंकेज संबंधी प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर (चयनित ब्लॉक में)आयोजित करवाया जाकर इन समूहों को क्लस्टर के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस हेतु चयनित संस्था एवं संबंधित जिल के कार्यक्रम अधिकारी के मध्य एक अनुबंध सम्पादित किया जायेगा तथा अनुबंध की शर्तो के आधार पर संस्था द्वारा सम्पूर्ण कार्य निष्पादित किया जायेगा। संस्था के कार्य का निरंतर सुपरविजन जिला/ब्लॉक स्तर के विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

चिन्हित समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह घोषित किये जाने संबंधी सूचक

उपरोक्त प्रत्येक जिले में चिन्हित 10 स्वयं सहायता समूहों को चयनित संस्था के माध्यम से निम्न सूचको को प्राप्त करने की स्थिति मे संबंधित उपनिदेशक/कार्यक्रम अधिकारी से स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त होने पर ही उस समूह को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह घोषित किया जाएगा।

I. समूह की नियमित साप्ताहिक बैठक होने लगी हैं।

II. समूह बैठक में नियमित बचत–ऋण के साथ–साथ सामाजिक मुददों पर भी चर्चा होने लगी है।

III. समूह का नियमित रिकार्ड संधारण हो रहा है।

IV. समूह द्वारा नियमित रूप से साप्ताहिक बचत की जा रही है।

V. समूह द्वारा नियमित रूप से आंतरिक लेन–देन किया जा रहा है।

VI. समूह द्वारा अपने ऋण का निर्धारित अवधि में नियमित भुगतान किया जा रहा है।

VII. समूह आयजनक गतिविधियों में संलग्न हो गया है।

VIII. समूह के कम से कम 60% सदस्यों की न्यूनतम आय रू 3100/– प्रतिमाह होने लगी है।

संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्य की चरणवार गतिविधियां, समय सीमा व अधिकतम व्यय सीमा:–

क्र. सं.	चरण	चरणवार गतिविधि	समय सीमा	अधिकतम व्यय सीमा प्रति चरण (कुल अनुबंध राशि का प्रतिशत)
1	प्रथम	कार्य प्रारम्भ करने पर	कार्य प्रारम्भ करने पर	–
2	द्वितीय	(i)योजना आमुखीकरण प्रशिक्षण	2 दिवसीय	14.29%
		(ii)प्रबंधकीय क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण	3 दिवसीय	
3	तृतीय	(i)उधमिता विकास एवं जागरूकता प्रशिक्षण	5 दिवसीय	77.14%
		(ii)आयजनक गतिविधि एवं गुणवता उन्नयन प्रशिक्षण	30दिवसीय	
4	चतुर्थ	मार्केटिंग प्रशिक्षण	5 दिवसीय	8.57%
		मार्केट लिंकेज एवं क्लस्टर गठन	8 माह	

योजनान्तर्गत प्रति जिला अधिकतम व्यय सीमा रू 3,50,000/–

संस्थाओं को उनके कार्य का भुगतान निम्न चरणों में किया जाएगा--**

1. अनुबंध राशि का 10% कार्य आरंभ करने पर।
2. अनुबंध राशि का 20% समूह को आमुखीकरण एवं प्रबंधकीय क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण करवाने पर।
3. अनुबंध राशि का 40% उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता उन्नयन तथा आयजनक प्रशिक्षण करवाने पर।
4. अनुबंध राशि का 30% समूह की 6 माह तक हैन्डहोल्डिगं करते हुए समूह को स्थायी स्वरोजगार से जोडकर समूह के कम से कम 60% सदस्यों को न्यूनतम रू 3100/--प्रतिमाह आय अर्जन*** कराने की स्थिति तक लाने एवं क्लस्टर गठन करने पर।

नोटः-- अग्रिम भुगतान की सुरक्षा हेतु कुल भुगतान योग्य राशि के 20 प्रतिशत की बैंक गारण्टी देना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।

** योजना से संबंधित समस्त चरणों को पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रकरण भुगतान हेतु संबंधित जिला कार्यालय,महिला अधिकारिता में प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम देय अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 16 माह से अधिक नही होगी।

***संस्था द्वारा समूहों के हैण्ड होल्डिंग की रिपोर्ट प्रति माह कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता को प्रस्तुत की जायेगी तथा समूह के 60 प्रतिशत सदस्यों द्वारा 06 माह तक प्रतिमाह न्यूनतम 3100 रूपये आय अर्जन किये जाने के आशय का एफीडेविड समूह के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी सहित चतुर्थ किश्त भुगतान प्रकरण के साथ संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

नोट :--

1 संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यो का कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा समय--समय पर (प्रशिक्षण अवधि में न्यूनतम दो बार) निरीक्षण किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न होने की स्थिति में ही जिले के कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय से संस्था को भुगतान किया जायेगा।
2. समूह प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित हो गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा दिया जायेगा।

3. संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यो के भुगतान हेतु राशि क्लेम करने के लिए पूर्वोक्त चरणों के अनुसार संस्था द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण रिपोर्ट मय प्रशिक्षण आयोजन की तिथि, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों की

सूची, प्रशिक्षण का प्रतिदिन का प्रतिवेदन, प्रशिक्षण के फ़ोटोग्राफ एवं समाचार पत्रों की कटिंग के साथ ही व्यय वाउचर्स की प्रमाणित छाया प्रतियां कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेगें। संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूर्ण अवधि में एक विजिटर्स रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसकी संस्था द्वारा प्रमाणित प्रति भी कार्यक्रम अधिकारी, म0अ0 के समक्ष भुगतान हेतु प्रस्तुत प्रकरण के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह को नकद पुरस्कार–

उपरोक्तानुसार समूहों को प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित करने के पश्चात ऐसे प्रत्येक प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह को रू 25000/– की राशि नकद पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। यह राशि समूह के खाते में जमा कराई जाएगी एवं इस राशि का उपयोग समूहों द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा–

I. समूह सदस्यों द्वारा आयजनक गतिविधि प्रारंभ करने की स्थिति में कच्चा माल क्रय करने एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए रू 20000/– रिवाल्विंग फंड के रूप में उपयोग किये जा सकेंगे, किंतु समूह द्वारा यह राशि कुछ समय पश्चात पुनः उसके खाते में जमा करवानी होगी।

II. शेष रू 5000/– की राशि का उपयोग समूह द्वारा अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं यथा समूह की बैठक व्यवस्थाओं, बैंक के अन्य स्थान पर होने की स्थिति में सदस्यों के आने–जाने का किराया आदि के उपयोग हेतु किया जा सकेगा।

इस हेतु आवेदन संस्था द्वारा जिला कार्यालय के माध्यन से कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता के द्वारा प्रमाणन के पश्चात् किया जायेगा। समूहों की उपरोक्त अर्हताओं का परीक्षण राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के माध्यम से किया जाकर उन्हें नकद पुरस्कार का पात्र माना जाएगा। (प्रियदर्शिनी आदर्श स्वयं सहायता समूह पुरस्कार महिला स्वयं सहायता समूहो द्वारा पूर्ण स्थायित्व प्राप्त करने एवं स्थायी स्वरोजगार गतिविधि से जुड जाने की स्थिति में ही देय होगा।)

ऋचा खोडा

(ऋचा खोडा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान,जयपुर

17590-725

कमांक एफ 13 (1)( )WE/WSHGI/प्रियदर्शिनी/16-17/ जयपुर, दिनांक 01/09/16

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महिला अधिकारिता, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
6. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, जयपुर।
7. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त।
8. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, समस्त।
9. रक्षित प्रतिलिपि।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)